संख्या : 1650 /आठ–1–18–92विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास
   प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उत्तर प्रदेश।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट
   कारपोरेशन, 7/6, सीरी फोर्ट
   इंस्टीट्यूशनल एरिया,
   अगस्त कांति मार्ग,
   नई दिल्ली–110049
6. **प्रबन्ध निदेशक,**
   लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन,
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ, दिनांक 19 सितम्बर, 2018**

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन इन्टर्नशिप योजना–2018 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की तीव्र गति के अनुरूप नगर नियोजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं विकास में आधुनिक तकनीक तथा विधाओं का समावेश करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थानों में स्नातक/परस्नातक एवं शोध हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों यथा–विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा आवास बन्धु में 'इन्टर्न' के रूप में योजित करने की निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है :–

(1) **योजना का उद्देश्यः–** चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, आवास एवं *विकास परिषद*, नगर ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा आवास बन्धु में इन्टर्न के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करना। ऐसे विषयों एवं क्षेत्रों, जिनमें इन्टर्नशिप आमंत्रित किया जाना है, की सूची संलग्नक–'क' पर अवस्थित है।

(2) **योजना का लक्ष्यः–** इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:–

(क) युवा शैक्षणिक प्रतिभाओं को पारस्परिक लाभ हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न कार्य–कलापों से संबद्ध होने का अवसर प्राप्त होगा।

(ख) इन्टर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की नीतियों के निर्धारण में नवीन सुसंगत तकनीकी जानकारी के योगदान का अवसर प्राप्त होगा।

(3) **इन्टर्नशिप**

(v) इन्टर्नशिप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की आवश्यकता के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष उपलब्ध होगा।

(vi) **योग्यताः–**इस योजना में इन्टर्नशिप हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/परस्नातक/शोध में पंजीकृत सभी विद्यार्थी चयन हेतु पात्र हैं।

(vii) **इन्टर्नशिप की अवधिः–** इन्टर्नशिप की अवधि न्यूनतम 6 सप्ताह से अधिकतम 3 माह तक है।

(viii) निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले इन्टर्न को संलग्नक 'ग' के प्रारूप पर आवास बन्धु द्वारा अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

(4) **आवेदन की प्रकिया**

(v) इन्टर्नशिप हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवास बन्धु उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

(vi) इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन–पत्र आवास बन्धु के वेबसाईट *www.awasbandhu.in* पर निर्धारित लिंक "Apprenticeship" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी मात्र एक बार आवेदन कर सकता है। विभिन्न अभिकरणों में रिक्तियों के उपलब्धता के आधार पर आवेदन पत्र पूरे वर्ष हेतु मान्य होगा।

(viii) इन्टर्नशिप हेतु चयनित होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थान के विभाग प्रमुख/संस्था प्रमुख से नामांकन/संस्तुति पत्र प्राप्त कर ज्वाईनिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

(5) **इन्टर्नशिप हेतु चयन की प्रकिया**

(vi) इन्टर्नशिप हेतु प्राप्त आवेदनों को निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा–

(1)	निदेशक, आवास बन्धु	अध्यक्ष
(2)	अपर निदेशक, आवास बन्धु	सदस्य
(3)	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेषन	सदस्य
(4)	सहायक निदेशक (तकनीकी) आवास बन्धु	सदस्य

उक्त समिति आवेदक की योग्यता, अभिरूचि के विषय एवं अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इन्टर्न का चयन करेगा। विभिन्न अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु उपलब्ध रिक्तियों की सूची संलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है।

(vii) अभिकरणों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में समिति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्कीनिंग करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित कर सकती है।

(viii) समिति द्वारा चयनित इन्टर्न की सूचना सीधे अभ्यर्थी को प्रेषित करने के साथ–साथ संबंधित अभिकरण, जिसके लिए इन्टर्न का चयन किया गया है, को भी प्रेषित की जायेगी।

(ix) सम्बन्धित अभिकरण द्वारा इन्टर्न को उसके कार्य अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यक सुविधायें यथा–ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु इन्टर्न को अभिकरण द्वारा लैपटॉप, आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी।

(x) इन्टर्न के उपस्थिति का सत्यापन संबंधित अभिकरण के नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इन्टर्नशिप के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात इन्टर्न द्वारा अपने कृत कार्य का संक्षिप्त विवरण नोडल अधिकारी को एवं आवास बन्धु को ई–मेल *awasbandhu@gmail.com* पर पृथक–पृथक उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस इन्टर्नशिप योजना में अभ्यर्थी को कोई वेतन/भत्ता/मानदेय देय नहीं होगा।

3. उक्त नीति में समय–समय पर आवश्यकतानुसार शासन की पूर्व अनुमति से निदेशक, आवास बन्धु द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

12/9/2018

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या:– 1650 (1)/आठ–1–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18

संलग्नक–'क'

Subjects/Domain and Related Educational Fields of Internship

Sl. No.	Subject	Educational Field
1.	**Urban Planning** • Master Plans • Zonal Development Plans • Sector/Layout Plans • Zoning Regulations • Building Bye-laws • Redevelopment and Conservation	Urban Planning
2.	**Housing** • Urban housing policies • Housing standards & designs • Affordable Housing • Building materials and Technology	Architecture/ Civil Engineering/ Urban Planning
3.	**Infrastructure Planning and Development** • Water Supply • Sewerage • Storm Water Drainage • Street lighting • Solid waste management • Parks & open spaces/green areas • River front development	Civil Engineering/ Urban Planning
4.	**Urban Transport System** • Public Transport (BRTS, Metro/Mono Rail) • Comprehensive Mobility Plan • Traffic Management • Traffic Improvement	Traffic & Transport Planning/ Urban Planning
5.	**Urban Legislation** • Urban Planning Acts • Real Estate Regulation & Development Act • Apartment Ownership Act • Rules, Zoning Regulations & Building Codes • Compounding Bye-laws	Urban Planning

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18

6.	**Environmentally Sustainable Development** • Energy-efficient housing • Planning, development & maintenance of green cover • Rainwater harvesting and ground water recharging • Solar Passive Architecture • Reduction and management of wastes	Architecture/Civil Engineering/ Urban Planning
7.	**Disaster Mitigation and Management** • Fire safety in high rise buildings • Structural safety • Earthquake resistant building construction • Integrated storm water management	Architecture/Civil Engineering/ Urban Planning
8.	**Ease of Doing Business** • E-governance • GIS applications in Urban Planning • Automated Building Plan Approval • Grievances Redressal System	Architecture/Civil Engineering/ Urban Planning

संलग्नक–'ख'

विभिन्न अभिकरणों में इन्टर्नशिप हेतु रिक्तियों की सूची

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	आवास बन्धु, उ.प्र.	05
2.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0	05
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	05
4.	लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	09 (प्रत्येक में 03)
5.	इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण	12 (प्रत्येक में 02)
6.	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन	20
7.	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	10
	योग	**66**